न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गोरखपुर।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–5351/2022

मु0अ0सं0–572/2022

सरकार बनाम रंजन उर्फ दीपक।

धारा–379,411,420 भा0दं0सं0।
थाना–कैण्ट, जनपद–गोरखपुर।

दिनांकः–22.08.2022

अभियुक्त दीपक उर्फ रंजन की तरफ से मु0अ0सं0–572/2022 अर्न्तगत धारा 379,411,420 भा0दं0सं0 थाना कैण्ट, जनपद–गोरखपुर में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान अभियोजन अधिकारी को सुना एवं पुलिस प्रपत्रो का अवलोकन किया।

पुलिस प्रपत्रो के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त अपराध उपरोक्त में दिनांक–06.08.2022 से न्यायिक अभिरक्षा के तहत जिला कारागार गोरखपुर में निरूद्ध है। अतः मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

अभियुक्त द्वारा (20) बीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समराशि की दो प्रतिभू दाखिल किये जाने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

प्रभा0मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गोरखपुर।